न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/24

1. गाड़ाराम पुत्र श्री घीसाराम माली निवासी ग्राम भांकरी तहसील पावटा (कोटपूतली) जिला जयपुर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली) जिला जयपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार पावटा तहसील पावटा (कोटपूतली) जिला जयपुर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 14.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली) जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आज्ञा जैर अपील पूर्णतया विधि विधान, पत्रावली एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि अपीलान्ट विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1143 से 1146 स्थित ग्राम भांकरी तहसील पावटा जिला जयपुर का काबिज खतोदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई कोई ध्यान नही दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में तहसीलदार को एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) उपखण्ड अधिकारी को अधिकार केवल सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर अधिकार प्राप्त है अन्यथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आज्ञा जैर अपील सरासर कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि उक्त खसरा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

नम्बर 1143 से 1146 के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के न्यायालय में एक नियमत राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा लम्बित चल रहा है तथा उक्त वाद में उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 01.04.2004 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष भी विचाराधीन चल रही है तथा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अस्थाई निषेधाज्ञा 08.04.2004 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में जब मौके पर ही रास्ता चालू नही किया जा सकता तो राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शे में अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में से गैर मु. रास्ता का अंकन कैसे किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर नही कर अपीलाधीन आदेश धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित किया व सरासर एकपक्षीय विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए रिकार्ड एवं मौके की सही वस्तुस्थिति का अध्ययन व अवलोकन करते हुऐ न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्णित किये जाने हेतु रिमाण्ड फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 1143 से 1146 का खातेदार स्वयं को बताया है जबकि रास्ता खसरा नम्बर 1143, 1144, 1145 में दर्ज हुआ है, अपीलान्ट केवल खसरा नम्बर 1145 में हिस्सा 61/144 का सहखातेदार दर्ज है जबकि रास्ते हेतु अन्य पक्षकार सहमत है। उन्होने आगे कथन किया है कि नया रास्ता दर्ज करने के आदेश राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.216 की अनुपालना मे जारी किया गया है, उक्त परिपत्र में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया है कि "ऐसे रास्ते जो स्थायी एवं राजकीय भूमि व निजी भूमियों में से चालू है किन्तु जिनका अंकन राजस्व अभिलेख में नही है, ऐसे सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम व ऋतुओं के अनुसार बदलते नही है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध हो, ऐसे रास्ता का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा इसी अनुरूप रास्ते का मौका निरीक्षण कर रास्ते के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील संख्या 49/2004 उनवान गाडाराम बनाम सोहन को दिनांक 08.02.2022 को खारिज कर दिया गया है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहॉ विचाराधीन दावा 48/04 भी दिनांक 30.06.2011 को खारिज हो चुका है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के आदेश

P.T.O.

दिनांक 03.12.2021 मौके की यथास्थिति बाधित नही है। इस प्रकार आदेश पूर्णतया विधि अनुरूप है। उन्होने आगे कथन किया है कि रास्ता मैके पर चालू है व कदीमी है एवं सार्वजनिक है इस रास्ते से सरकारी स्कूल तक रास्ता जाता है एवं इस रास्ते से ढाणी बोयताला जुडी हुई है जिससे आम ग्रामीणों का आवागमन है। इस रास्ते से ग्राम का प्राचीन मंदिर लगता हुआ है यह रास्ता राजस्व नक्शें में डोडेट लाईन दर्ज है तथा रास्ता सिवायचक खाते में दर्ज नही होकर खातेदारों की खातेदारी में रास्ते से प्रभावित भूमि का पृथक से बट्टा नम्बर बनाया जाकर किस्म परिवर्तन कर गैर मु. रास्ता का अंकन किया गया। इस प्रकार रास्ते की भूमि खातेदारों की खातेदारी में अंकित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है अपीलार्थी अपने हिस्से अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1145 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस या सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 03.12.2021 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2021 को अपीलार्थी की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।